

फा. सं०.सीबीईसी-20/16/04/2018-जीएसटी (पार्ट.1)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी (नीति स्कंध)

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल, 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त /

केन्द्रीय कर आयुक्त(सभी)

प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

**विषय: अधिसूचना संख्या 2/2019-सीटी (आर) दिनांक 07.03.2019 के तहत कर का भुगतान किए जाने के विकल्प के संबंध में स्पष्टीकरण**

अधिसूचना संख्या 02/2019-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 07.03.2019(एतश्मिनपश्चात् ""उक्त अधिसूचना" के रूप में संदर्भित) के प्रति ध्यान आमंत्रित किया जाता है जो किसी ऐसे व्यक्ति विशेष जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक कारोबार पचास लाख रुपये या उससे कम था, द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके बाद किए गए माल या सेवाओं या दोनों से 50 लाख तक के वार्षिक कारोबार तक की प्रथम आपूर्तियों पर 3 प्रतिशत के केन्द्रीय कर की दर निर्धारित करती है। अधिसूचना सं०. 09/2019-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 29.03.2019 द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिसूचना प्रावधान करती है कि केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (एतश्मिनपश्चात् "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के अंतर्गत जैसा कि कर का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होता है, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017(एतश्मिनपश्चात् "उक्त

नियमों" के रूप में संदर्भित) यथोचित परिवर्तनों सहित उक्त अधिसूचना के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होगा ।

2. इस मुद्दे को स्पष्ट किए जाने और क्षेत्र कार्यालयों में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने हेतु, बोर्ड उक्त अधिनियम की धारा 168(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उठाए गए मुद्दों को निम्नानुसार स्पष्ट करता है:-

(i) कोई पंजीकृत व्यक्तिविशेष जो उक्त अधिसूचना का लाभ उठाकर 3 प्रतिशत की दर से केंद्रीय कर के भुगतान का विकल्प चुनना चाहता है, तो अधिक से अधिक 30 अप्रैल, 2019 तक प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-02 की क्र०सं० 5(iii) पर यथा सूचीबद्ध "संघटन उद्ग्रहण हेतु पात्र कोई अन्य आपूर्तिकर्ता" के रूप में पंजीकृत व्यक्ति की श्रेणी के चयन द्वारा उक्त प्रपत्र में उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम 3 में निर्दिष्ट ढंग में संसूचना फाइल करके ऐसा कर सकता है । ऐसा व्यक्ति उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (3) के प्रावधानों के अनुसरण में प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-03 में एक वक्तव्य भी प्रस्तुत करेगा ।

(ii) कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करता है और जो उक्त अधिसूचना के लाभ, यदि पात्र है, उठाकर 3 प्रतिशत की दर से केंद्रीय कर के भुगतान का विकल्प चुनना चाहता है, तो पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र फाइल किए जाते समय प्रपत्र जीएसटी आरईजी-01 की क्रम सं० 5 और 6.1 (iii) पर विकल्प का संकेत देकर ऐसा कर सकता है ।

(iii) किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्यापार के किसी भी स्थान के संबंध में उक्त अधिसूचना का लाभ उठाकर कर के भुगतान का विकल्प एक ही स्थायी खाता संख्या पर पंजीकृत व्यापार के अन्य सभी स्थानों के संबंध में लागू माना जाएगा ।

(iv) उक्त अधिसूचना का लाभ उठाकर कर का भुगतान करने का विकल्प वित्तीय वर्ष की शुरुआत से या उन मामलों, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान नया पंजीकरण प्राप्त हुआ है, में पंजीकरण की तिथि से प्रभावी होगा ।

3 यह नोट किया जाए कि उक्त नियमों के अध्याय II में निहित प्रावधान उपरोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर, यथोचित परिवर्तनों सहित, उक्त अधिसूचना के लाभ का लाभ उठाकर कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे ।

4. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में, कठिनाई, यदि कोई हो, को तत्काल ही बोर्ड के ध्यान में लाया जाए ।

(उपेंद्र गुप्ता)  
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)

\*\*\*\*\*